



Neutral Citation No. - 2026:AHC:162500

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7770

सन् 2026

गोविन्द

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : रामानंद तिवारी, शिव शरण त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : अश्वनी त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता, रामानुज त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 70 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 125, 109(1) बी.एन.एस. 2023, थाना- अकराबाद जिला अलीगढ़ में आवेदक की ओर से दायर की गई है। इसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। घटना के 6 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने में हुई देरी का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि हालांकि चार लोग घायल हुए हैं, लेकिन 8 अभियुक्तों में से कोई भी किसी घायल व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं पहुंचा सका। अमित, प्रशांत और आवेदक गोविंद के पास धारदार हथियार होने की बात कही गई है, लेकिन किसी भी घायल व्यक्ति के शरीर पर धारदार हथियार से लगी कोई चोट नहीं है। घटना के 3 महीने से ज़्यादा समय बाद, आवेदक पर लोहे की रॉड से घायल रत्नेश के सिर पर चोट पहुंचाने का खास आरोप लगाया गया है; जिसे कथित रूप से बाई पार्श्विका अस्थि से संबंधित रैखिक, विस्थापन-रहित फ्रैक्चर हुआ था। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यह प्रकरण उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रतिरोध में दर्ज कराया गया है जो अभियुक्त प्रशांत कुमार ने दिनांक 06.02.2026 की घटना के लिए दिनांक 09.02.2026 को दर्ज कराई थी, और उस प्रकरण में सूचनादाता कुलदीप भी एक अभियुक्त है।

4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया किया और तर्क दिया कि आवेदक पर लोहे की रॉड का इस्तेमाल करके घायल रत्नेश को गंभीर चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप है। ऐसे स्वतंत्र गवाह भी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष की बात का समर्थन किया है। आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों ने सूचनादाता के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप रत्नेश को गंभीर चोटें आईं तथा दो अन्य घायलों को भी कई चोटें आईं।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. आवेदक पर कोई गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप नहीं है। तीन घायलों में से, घायल कुलदीप के सिर की त्वचा पर हड्डी तक गहरा घाव हुआ है। यह चोट गंभीर किस्म की नहीं पाई गई है। घायल राजेश की दाहिनी जांघ पर खरोंच आई है, जो गंभीर किस्म की नहीं है। घायल रत्नेश को दो चोटें आई हैं: एक घाव और दूसरी चोट का कारण सूजन सूजन है। घायल रत्नेश को लगी सिर की चोट में बाई पार्श्विका अस्थि से संबंधित रैखिक, विस्थापन-रहित फ्रैक्चर पाया गया है। यही वह चोट है, जिसे बाद में आवेदक के ऊपर आरोपित किया गया है।

7. पहली नज़र में, प्रथम सूचना रिपोर्ट और घायल व्यक्ति को लगी चोटों की संख्या और प्रकृति को देखने पर, ऐसा लगता है कि प्रकरण में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को फंसाया गया हो सकता है। लोहे की रॉड के इस्तेमाल की बात घटना के 3 महीने बाद बताई गई है, जबकि प्रथम सूचना



रिपोर्ट में आवेदक के पास धारदार हथियार होने का ज़िक्र था; यह बात भी पहली नज़र में बाद में सोची-समझी गई लगती है। आवेदक का एक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है जिसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।

8. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. यदि आवेदक - **गोविंद**, को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम ज़मानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)



3 अगस्त, 2026

प्रियंका

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।